**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या. 202**

**(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)**

**आईबीसी प्रक्रिया के अंतर्गत भारी वित्तीय कटौती**

**202. श्री मनीश तिवारी:**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईबीसी प्रक्रिया के अंतर्गत बड़े निगमों की राशि में भारी वित्तीय कटौती हुई है जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र को भारी घाटा हुआ है और विगत पांच वर्षों के दौरान तद्नुरूपी रियायतों वाली शीर्ष 100 कंपनियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आईबीसी के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की गई वित्तीय कटौती का मामले-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) आईबीसी के प्रारंभ से वर्ष-वार कुल कितने लेनदारों के दावों का समाधान किया गया और स्वामित्व में परिवर्तन करके कंपनियों का पुनर्वास किया गया;
(घ) आईबीसी के अंतर्गत कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है जिसके लिए 180 दिनों की समय-सीमा को बढ़ा कर 270 दिनों तक कर दिया गया हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा आईबीसी के उपबंधों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।**

**(श्री हर्ष मल्होत्रा)**

(क) और (ख): आईबीसी प्रक्रिया के तहत वसूली बाजार संचालित है और अन्य बातों के साथ-साथ, यह इसके समाधान के समय परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर निर्भर है। आईबीसी प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वसूली से संबंधित आंकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कुल 1068 मामलों का समाधान किया गया है, जिससे आईबीसी की स्थापना से सितंबर 2024 तक लेनदारों को लगभग 3.55 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई है।

(ग): समाधान किए गए मामलों और वित्तीय लेनदारों (एफसी) द्वारा वसूली योग्य मूल्य का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:

| वित्तीय वर्ष | मामलों की संख्या | वित्त आयोजनों द्वारा वसूली योग्य राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 2017-18 | 18 | 3,807 |
| 2018-19 | 75 | 1,07,337 |
| 2019-20 | 132 | 39,240 |
| 2020-21 | 119 | 27,102 |
| 2021-22 | 143 | 47,208 |
| 2022-23 | 187 | 54,161 |
| 2023-24 | 270 | 46,340 |

(घ) सीआईआरपी के कुल 1963 मामले चल रहे हैं जिनमें से 1388 मामले 270 दिनों की समय-सीमा से अधिक के हो गए हैं।

(ड.): दिवाला समाधान की प्रक्रिया को मजबूत करने और आईबीसी के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में छह संशोधन किए हैं। इसके अतिरिक्त, आईबीबीआई, नियामक, ने आईबीसी की स्थापना के बाद से नियमों में 100 से अधिक संशोधन किए हैं।

****